

112006

संख्या-120/सत्तर-2-2018-16(390)/2013

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक डिग्री-बजट/4980/2017-18, दिनांक 22-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के अधीन सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने, सुधार को प्रोत्साहित करने एवं दक्ष शिक्षकों को सेवा के बेहतर अवसर प्रदान करने एवं छात्रहित में उक्त पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे पात्र एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा सीमित आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुदान संख्या-73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता-03-गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (पुरुष-महिलाये) 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोग से उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन के लिए ₹0100000000.00 (रुपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहण स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा संबंधित महाविद्यालय द्वारा दावा प्रस्तुत किये जाने पर योजना के शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- (2) उक्त अनुदान/वित्तीय सहायता, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16क एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेश में उल्लिखित सहायक अनुदान के नियम लागू होंगे। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग का प्रमाण पत्र निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्परीक्षित कराकर संस्था द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

पाठ्य क्रिया गया

7/4/18

(4) योजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली उक्त धनराशि का उपभाग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि की स्वीकृति हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा समयान्तर्गत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-104-अराजकीय कलेजों और संस्थानों को सहायता-13-उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही वचनों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या-8/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 08-08-2017 द्वारा प्रतिनिधित्वित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्न-बी0एम0-9(भाग-1)

भवदीया,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-120(1)/सत्तर-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नाथडू मार्ग, इलाहाबाद-211001
- (3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (4) निदेशक, स्थानीय विधि लेखा परीक्षा विभाग, रांगम पैलेस, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद।
- (5) मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
- (6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना अनुभाग-1
- (7) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (8) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) वैभागीक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)
23/3/2018
(डॉ० ध्रुव पाल)
अनु सचिव।

12/01/2017

पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/13859/शासन विविध 1/2-2013/2018

दिनांक: मई, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति-मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/प्रबंधक, समस्त अनुदानित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि योजना के सम्बन्ध में उक्त पत्र के अनुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेक्टर को इस आशय से कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड कर दें।

कुलसचिव